

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2015-16/ds-vi/

Dated the _____ 2015

NOTIFICATION

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2015-16 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) and in supersession of this Government's Notification No.F.12(6)/Fin(T&E)/2008-2009/jsfin/248 dated the 22nd June, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies that the rate of tax to be levied on the turnover of receipt of a proprietor of hotels shall be fifteen percent w.e.f. 1st August 2015.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(A.K.SINGH)
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2015-16/ds-vi/594

Dated th: 30/7/2015

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Secretary to Dy.C.M./F.M., Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Pr.Secretary (Finance) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
6. The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. Web site.
8. Guard File.

(A.K.SINGH)
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)

bv
31/7

Shri Lakshmi
ATO

(दिल्ली के असाधारण राजपत्र के भाग 4 में प्रकाशित किया जाये)
राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

सं.फा. 12 (2)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/

दिनांक :

अधिसूचना

सं.एफ. 12(2)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16/- दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 22 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 12(6)/वित्त(टी एंड ई)/2008-2009/जेएसवित्त/248 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाये जाने के लिये की गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि होटलों के स्वामी की प्राप्तियों की कुल बिक्री पर वसूल किये जाने वाले कर की दर दिनांक 01 अगस्त, 2015 से पन्द्रह प्रतिशत होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

(ए.के.सिंह)
उपसचिव-VI (वित्त)

सं.फा. 12 (2)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/ ५९६

दिनांक : ३०/७/१५

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित, दिल्ली राजपत्र (भाग-4) असाधारण में आज की तिथि में प्रकाशन हेतु।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री / वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त (आबकारी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल-ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. वेबसाईट
8. गार्ड फाईल।

३९६
(ए.के.सिंह)
उपसचिव-VI (वित्त)